**बिहार सरकार**
**लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग**

पत्रांकः 6/वि01–1065/13– 1260                    पटना, दिनांकः– 11.7.14

सेवा में,

महालेखाकार
बिहार, पटना।

विषयः राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम अंतर्गत राज्य के लौह प्रभावित 9 जिलों के बसावटों में सौर उर्जा चालित पम्प एवं उपयुक्त ट्रिटमेंट यूनिट के साथ 200 मिनी जलापूर्ति योजना के निर्माण तथा पाँच वर्षों के लिए परिचालन एवं रख–रखाव हेतु 7457.00 लाख (चौहत्तर करोड़ सन्तावन लाख रूपये) की राशि पर योजना की स्वीकृति।

आदेशः राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम अंतर्गत राज्य के लौह प्रभावित 9 जिलों के बसावटों में सौर उर्जा चालित पम्प एवं उपयुक्त ट्रिटमेंट यूनिट के साथ 200 मिनी जलापूर्ति योजना के निर्माण तथा पाँच वर्षों के लिए परिचालन एवं रख–रखाव हेतु 7457.00 लाख (चौहत्तर करोड़ सन्तावन लाख रूपये) की राशि पर योजना की प्रशासनिक स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। योजना की जिलावार विवरण परिशिष्ट– 1 पर संलग्न है।

2. भारत सरकार के मार्गदर्शिका के अनुसार केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम अन्तर्गत जल गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों में ली जाने वाली योजना की लागत राशि का 50 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा एवं शेष 50 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना है। तद्नुसार प्रस्तावित योजना में रू0 3728.50 लाख रूपये केन्द्रांश के रूप में भारत सरकार एवं शेष राशि रू0 3728.50 लाख रूपये राज्यांश के रूप में राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना है।

इस योजना के परिचालन एवं रख–रखाव (Operation & Maintenance) हेतु राशि का वहन राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत परिचालन एवं रख–रखाव (O&M) हेतु कर्णांकित (15 प्रतिशत) राशि से किया जाना है। प्रस्तावित योजना में पाँच वर्ष का परिचालन एवं रख–रखाव का प्रावधान है।

3. इस योजना के कार्यान्वयन में प्राथमिकता का निर्धारण संबंधित जिला प्रभारी मंत्री द्वारा की जाएगी।

4. परिशिष्ट– I में जिलावार अंकित योजनाओं की लागत राशि में केन्द्रांश मद की राशि (50%) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के लिए भारत सरकार द्वारा बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (BSWSM) के NRDWP, Programme Fund के बैंक बचत खाता संख्या 31458965548 में उपलब्ध कराई गई राशि से योजना के कार्यान्वयन हेतु संबंधित कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को विमुक्त की जाएगी।

5. इस योजना पर होनेवाले राज्यांश मद (50%) राशि का व्यय योजना बजट शीर्ष 4215– जलापूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय–01– जल पूर्ति–102– ग्रामीण जल पूर्ति–उप शीर्ष –0330– राष्ट्रीय ग्रमीण पेयजल कार्यक्रम विपत्र कोड–P4215011020330–विषय शीर्ष–53 01– मुख्य निर्माण कार्य; 4215– जलापूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय–01– जल पूर्ति–789– अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना– उप शीर्ष –0312– राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम विपत्र–कोड–P4215017890312– विषय शीर्ष–53 01– मुख्य निर्माण कार्य एवं 4215– जलापूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय–01– जल पूर्ति–796 जनजातीय क्षेत्र उप योजना– उपशीर्ष –0317– राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम विपत्र–कोड–P4215017960317–विषय शीर्ष–53 01– मुख्य निर्माण कार्य में भारितव्य होगा।

6. इस योजना के अन्तर्गत राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग होंगे। राशि की निकासी संबंधित कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी। योजना पर होनेवाला व्यय स्वीकृत राशि तक सीमित रहेगा।

7. इस राशि में से स्थापना पर कोई व्यय नहीं किया जायेगा और न ही कोई नया पद सृजित किया जायेगा।

8. इसके नियंत्री पदाधिकारी अभियंता प्रमुख सह विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग होंगे।

9. योजना एवं गैर –योजना मद में स्कीमों की स्वीकृति हेतु शक्तियों के प्रत्यायोजन से संबंधित वित्त विभाग के संकल्प संख्या–एम4–53/2007– 96 वि0 (2), दिनांक 03.01.08 के आलोक में दिनांक–17.02.2014 को हुई योजना प्राधिकृत समिति की बैठक एवं दिनांक–27.05.2014 को हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक में इसकी स्वीकृति दी गयी है।

10. राज्यांश मद की राशि हेतु वर्ष 2014–15 के योजना बजट में प्रावधान है।

11. इस पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

अनु0– यथोपरि।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

AA 7/7

(अंशुली आर्या)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक:– 1260 पटना, दिनांक– 11.7.14

प्रतिलिपि:–

1. अनु0 सहित वित्त विभाग (बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय, विभाग, बिहार, पटना/ संबंधित जिला पदाधिकारी/ संबंधित कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. अनु0 सहित अभियंता प्रमुख सह विशेष सचिव/ मुख्य अभियंता (नागरिक)/ मुख्य अभियंता (रूपांकन)/ सदस्य सचिव, कार्यकारी समिति, बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन/ अधीक्षण अभियंता (मो0)/ विशेष पदाधिकारी/कार्यपालक अभियंता (मो0)/उप निदेशक, (मूल्यांकन/निदेशक, पी0एम0यू0/प्रशाखा– 6/आई0टी0, मैनेजर लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. अनु0 सहित सभी संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ संबंधित अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अंचल/संबंधित कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0– यथोपरि।

AA 7/7

(अंशुली आर्या)
प्रधान सचिव

परिशिष्ट – I

वर्ष 2013–14 में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम अंतर्गत राज्य के लौह प्रभावित 9 जिलों के बसावटों में सौर ऊर्जा चालित पम्प एवं उपयुक्त ट्रिटमेंट यूनिट के साथ 200 मिनी पाईप्ड जलापूर्ति योजना के निर्माण की योजना ।

| क्रम संख्या | जिला का नाम | लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल का नाम | प्रस्तावित योजनाओं की संख्या (अदद में) | वित्तीय लक्ष्य @ रु0 37.285 लाख प्रति यूनिट (लाख रूपये में) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | पूर्णियां | पूर्णियां | 20 | 745.700 |
| 2 | किशनगंज | किशनगंज | 25 | 932.125 |
| 3 | अररिया | अररिया | 23 | 857.555 |
| 4 | कटिहार | कटिहार | 13 | 484.705 |
| 5 | सहरसा | सहरसा | 20 | 745.700 |
| 6 | सुपौल | सुपौल | 43 | 1603.255 |
| 7 | मधेपुरा | मधेपुरा | 17 | 633.845 |
| 8 | बेगूसराय | बेगूसराय | 32 | 1193.120 |
| 9 | खगड़िया | खगड़िया | 7 | 260.995 |
| कुल | | | 200 | 7457.000 |

(चौहत्तर करोड़ सन्तावन लाख रूपये मात्र)

( ए0 के0 श्रीवास्तव )
मुख्य अभियंता (नागरिक)